

**न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर जिला जबलपुर**

**--: आदेश :-**

कं./ 2 /सी.जे.एम./2024

जबलपुर, दिनांक-28.02.2024

माह मार्च 2024 में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से रिमांड कार्य निष्पादित किये जाने हेतु निम्नानुसार डियूटी लगाई जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य 10.30 बजे से 11.00 के मध्य वीडियो कॉन्फेसिंग रूम में उपस्थित होकर संपादित करे।

| क  | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम  | दिनांक     | क. | न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम  | दिनांक     |
|----|----------------------------|------------|----|----------------------------|------------|
| 1  | श्री किशन देव सिंह पटेल    | 01.03.2024 | 13 | श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा | 18.03.2024 |
| 2  | श्री फरहान मसूद करैशी      | 02.03.2024 | 14 | श्रीमती विधि डागलिया       | 19.03.2024 |
| 3  | श्री आनंद बागरी            | 04.03.2024 | 15 | श्रीमती रुचि गोलस सगर      | 20.03.2024 |
| 4  | श्रीमती नेहा तोमर सिंह     | 05.03.2024 | 16 | श्रीमती अनुजा श्रीवास्तव   | 21.03.2024 |
| 5  | श्रीमती किरण मलिक          | 06.03.2024 | 17 | सुश्री संजना मालवीय        | 22.03.2024 |
| 6  | श्री भूपेन्द्र सिंह        | 07.03.2024 | 18 | श्रीमती मुणालिनी सिंह      | 23.03.2024 |
| 7  | श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय    | 09.03.2024 | 19 | सुश्री सपना कनौडिया        | 28.03.2024 |
| 8  | सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना   | 11.03.2024 | 20 | श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम  | 30.03.2024 |
| 9  | श्रीमती रश्मि अभिजीत मरावी | 12.03.2024 |    |                            |            |
| 10 | श्रीमती सरिता जतारिया      | 13.03.2024 |    |                            |            |
| 11 | श्री रविन्द्र सिंह धर्वे   | 14.03.2024 |    |                            |            |
| 12 | श्रीमती नमिता बौरासी       | 15.03.2024 |    |                            |            |

(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर

**प्रतिलिपि :-**

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके डियूटी दिनांको पर जेल से प्राप्त अभियुक्तों की पेशी से संबंधित सूची पर अभियुक्त की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज कर समस्त संबंधित न्यायालयों को सूचित कर मूल प्रति इस न्यायालय को प्रमाणित कर भेजे।
- 3- उक्त सूची में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण या पदोन्नित हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट उस दिनांक को वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य निष्पादित करेंगे एवं यदि किसी कारणवश दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय रिक्त हो जाती है या स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है अन्यथा उपरोक्त सूची में दर्शित यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक को अवकाश पर रहते है तो उक्त दिनांक को **श्री भूपेन्द्र सिंह जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेंगे एवं यदि किन्ही कारणवश श्री भूपेन्द्र सिंह जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहते है तो **श्री आनंद बागरी जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेंगे यदि किन्ही कारणवश श्री आनंद बागरी जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहते है तो **श्री मनमोहन सिंह कौरव जे.एम.एफ.सी.** कार्य निष्पादित करेंगे।
- 4- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि उक्त दिनांकों में लगायी गयी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फेसिंग पेशी की सूची एक दिवस पूर्व संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
- 5- जूनियर सिस्टम ऍनालिस कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की पालनार्थ प्रेषित।

(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर